न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 18/110

मोहन लाल श्रृंगी आत्मज कृष्णानन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी हाल गुरूनानक कोलोनी, बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. कृष्णानन्द आत्मज रामशंकर ।
2. भंवर लाल आत्मज कृष्णानन्द ।
3. जगदीश आत्मज कृष्णानन्द ।
4. साहन लाल आत्मज कृष्णानन्द ।
5. सूरजमल आत्मज कृष्णानन्द ।
6. चन्द्रप्रकाश आत्मज कृष्णानन्द जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम लगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री लीलाधर सिंह, श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मुकेश कुमावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा एवं विभाजन का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डगलावदा की आराजी कुल 08 किता की रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि कृष्णानन्द आत्मज श्री रामशंकर जाति ब्राह्मण के खाते दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम डगलावदा में कुल 04 किता की रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि कृष्णानन्द आत्मज सदानन्द जाति ब्राह्मण के खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 926/676 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम डगलावादा में स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार के स्थान पर भंवरलाल आत्मज हीरालाल जाति ब्राह्मण के खातेदारी में दर्ज है । पक्षकारान के मूल पुरूष लक्ष्मीनारायण थे उनकी मृत्यु हो चुकी है उनके दो पुत्र सदाशंकर व राशंकर हुए जिमें बडा पुत्र सदाशंकर करीब 70 वर्ष पूर्व लाऔलाद ही फौत हु गया तथा कृष्णानन्द के वादी व प्रतिवादीगण 2 से 6 पुत्र हैं । मृतक श्री सदाशंकर जी एवं सदानन्द एक ही व्यक्ति हैं । उक्त व्यक्ति को दोनों नामों से पुकारा जाता था । श्री सदाशंकर उर्फ सदानन्द, रामशंकर जी के बडे

के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके हिस्से की आराजीयात उनका नैसर्गिक उत्तराधिकारी न एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी पगडी प्रतिवादी क्रम 1 के बंधी इस कारण स्व0 सदाशंकर जी एवं सदानन्द के हिस्से की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से आई व इसी रूप में इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में किशनानन्द वल्द सदानन्द के रूप में कृष्णानन्द एवं किशना नन्द प्रतिवाद क्रम 1 ही व्यक्ति हैं । इसी प्रकार वादी के दादा श्री रामशंकर जी की मृत्यु के पश्चात् उनरके नैसर्गिक पुत्र श्री कृष्णानन्द के नाम खाते में आई और कृष्णानन्द वल्द रामशंकर के रूप में जमाबन्दी संख्या 25 में उनका नाम दर्ज है । उक्त वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है । यह कि आराजी खसरा नम्बर 926/676 जिसका पुराना खसरा नम्बर 456 तथा उससे पूर्व इसका खसरा नम्बर 257 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में एक प्रकरण संख्या 32/1963 धारा 20 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय द्वारा निर्णय करते हुए उपरोक्त भूमि को अपीलान्ट के दादा रामशंकर के पक्ष में दर्ज करने का आदेश पारित किया था और उपरोक्त आदेश दिनांक 29.12.1963 अंतिम था जिसकी अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत नहीं हुई थी और दिनांक 29.12.1963 का आदेश अंमि था उपरोक्त आदेश के अनुसार अपीलान्ट के दादा उपर वर्णित सम्पत्ति के मालिक एवं स्वामी हो चुके थे लेकिन राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की गलती की वजह से उपरोक्त कृषि आराजी वादी के दादा रामशंकर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई इसलिए वादी अपीलान्ट द्वारा अन्य कृषि आराजी के साथ उपरोक्त कृषि आराजी के सम्बंध एक घोषणा एवं विभाजन का वाद अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर सुनने के उपरान्त उपरोक्त आलोचित निर्णय पारित करते हुए वाद पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उपरोक्त प्रकरण में भंवर लाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री पारित होने के पश्चात् अपीलान्ट को उपरी हवा लग गई थी तथा वह अवसादग्रस्त हो गया था नीम हकीमों से अपना ईलाज करवा रहा था अभी तीन दिन पूर्व सही हुआ तब अपने अधिवक्ता से मिला और उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दी तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह बखूबी प्रमाणित कर दिया था कि उपरोक्त सम्पत्ति के पूर्व में खसरा नम्बर 257 के सेटलमेंट के बाद 456 तथा वर्तमान में उक्त आराजी के खसरा नम्बर 926/676 बन चुके हैं । उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषि आराजी पूर्व से अभी तक उपरोक्त खसरों में दर्ज है । पूर्व में वर्ष 1963 में जो प्रकरण भंवर लाल भूमि धारक द्वारा वादी के दादा रामशंकर के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के यहॉ प्रस्तुत किया था जिस पर स्वयं भंवर लाल ने राजीनामा करते हुए उपरोक्त सम्पत्ति को वादी के दादा रामशंकर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की सहमति दी थी क्योंकि उपरोक्त पूर्व प्रकरण

भंवर लाल द्वारा खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने के कारण तथा उपरोक्त खातेदारी धिकार रामशंकर में निहित हो जाने से मात्र मुआवजे का बिन्दु शेष रह जाने के कारण वाद पेश किया था उसमें दोनों पक्षों के मध्य मुआवजे का सेटलमेंट हो जाने से राजीनामा के आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि को रामशंकर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अमल करने के आदेश हुए थे । इस प्रकार 1963 से उपरोक्त सम्पत्ति का वादी के दादा स्वामी बन चुके थे । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही उपरोक्त आलोचित निर्णय दिनांक 17.11.2011 पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में गैर कानूनी रूप से यह उल्लेख किया है कि निर्णय दिनाक 29.12.1963 की कोई इजराय पेश नहीं की है किसी भी सूरत में निर्णय दिनांक 29.12.1963 को किसी भी अपील न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है तो ऐसे में निर्णय दिनाक 29.12.1963 को बाईपास करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर से उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में यह बखूबी प्रमाणित कर दिया था कि उक्त सम्पत्ति के स्वामी अपीलान्ट के दादा बन चुके थे तथा अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट के बीच आपस में विभाजन को लेकर विवाद था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर भारी त्रुटि की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य विभाजन किया जाकर घोषणा की डिक्री पारित की जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरबीजे (5) 1998, आर.एल. आर. 1985 पेज 679 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन कि अपीलान्ट अपीलान्ट को स्वीकार किये जाने में रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 926/676 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.12.1963 से वादी के दादा रामशंकर को खातेदार घोषित कर दिया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह वाद पत्र खातेदारी अधिकार घोषणा का उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट जो कि रामशंकर का पौत्र है के द्वारा प्रस्तुत किया गया था । अपीलान्ट की निर्णय दिनाक 29.12.1963 में निहित अपीलाधीन कृषि भूमि पैतृक भूमि है जिसमें अपीलान्ट के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 का भी बराबर–बराबर हक व अधिकार निहित है जिसकी घोषणा करवाने का अपीलान्ट अधिकारी है । निर्णय दिनांक 29.12.1963 आज भी यथावत है किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध व शून्य घोषित नहीं किया गया है इसलिए आज भी निर्णय दिनांक 29.12.1963 प्रभावकारी है । खातेदार भंवर लाल के द्वारा धारा 20क के तहत प्रस्तुत आवेदन में अपीलान्ट के दादा रामशंकर को उक्त आराजी का खातेदार स्वीकार कर लिया था तथा राजीनामा भी प्रस्तुत कर दिया था इसलिए उक्त आराजी में खातेदार भंवर लाल का कोई हक व अधिकार

नहीं रहा था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि भंवर लाल को पक्षकार हीं बनाया गया है युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा वाद को निर्णय एवं डिक्री किये जाने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं आधारभूत साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया था के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम अपील अपीलान्ट न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (5) 1998, आर.एल.आर. 1985 पेज 679 की रोशनी में स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2011 निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 926/676 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा भंवर लाल का नाम विलोपित कर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे ।

12. निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/110

मोहन लाल श्रृंगी आत्मज कृष्णानन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी हाल गुरूनानक कोलोनी, बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. कृष्णानन्द आत्मज रामशंकर ।
2. भंवर लाल आत्मज कृष्णानन्द ।
3. जगदीश आत्मज कृष्णानन्द ।
4. साहन लाल आत्मज कृष्णानन्द ।
5. सूरजमल आत्मज कृष्णानन्द ।
6. चन्द्रप्रकाश आत्मज कृष्णानन्द जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम लगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2011 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 238/दावा/2010

मोहन लाल श्रृंगी आत्मज कृष्णानन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी हाल गुरूनानक कोलोनी बून्दी ।

——वा

बनाम

1. कृष्णानन्द आत्मज रामशंकर ।
2. भंवर लाल आत्मज कृष्णानन्द ।
3. जगदीश आत्मज कृष्णानन्द ।
4. साहन लाल आत्मज कृष्णानन्द ।
5. सूरजमल आत्मज कृष्णानन्द ।
6. चन्द्रप्रकाश आत्मज कृष्णानन्द जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम लगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह, श्री अशोक गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश कुमावत के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2011 निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 926/676 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा भंवर लाल का नाम विलोपित कर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 14.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा